न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, महराजगंज

दाण्डिक निगरानी संख्या–   /2026

प्रकीर्ण वाद संख्या–51/2026

गोमती व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य

12.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पुनरीक्षणकर्तागण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 को दिनांक 04.02.2026 को पुलिस द्वारा समन मिला, तब उक्त मुकदमें की जानकारी हुई तथा अने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर मुआइना प्रार्थनापत्र दिनांक 05.02.2026 को दिया, तब तथ्यों की जानकारी हुई, तदोपरांत प्रमाणित कापी के लिए दिनांक 13.03.2026 को नकल प्रार्थनापत्र दिया। सत्य प्रतिलिपि दिनांक 19.02.2026 को प्राप्त होने पर यह पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा जान–बूझकर समय से निगरानी प्रस्तुत करने कोई देरी या असावधानी नहीं बरता गया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम का लाभ देकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मियाद अधिनियम स्वीकार करने की याचना की गयी है।

सदर मुंसरिम/प्रशासनिक अधिकारी आख्यानुसार प्रस्तुत आपराधिक निगरानी न्यायालय क्षेत्राधिकार में है, परन्तु कालबाधित है। दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रदत्त न्यायशुल्क व तलबाना दाखिल किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.02.2020 को पारित किया गया था। आपराधिक निगरानी दिनांक 20.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है, जोकि विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। पुनर्निरीक्षणकर्ता द्वारा विलम्ब का कारण समय से समन न मिलना बताया गया। उसके द्वारा जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के तहत किसी व्यक्ति को विलम्ब को माफ करते हुए सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7ख अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम वास्ते विलम्बमर्षण मु0–500/–हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पुनर्निरीक्षण प्रार्थना पत्र अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 24.08.2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष पेश हो।

(ज्ञानेन्द्र राव)
यू0पी0आई0डी0–6294
जिला एवं सत्र यायाधीश,
कोर्ट संख्या–02, महराजगंज